



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम् परीक्षा, 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या-02..... / 2025

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार नवम् वर्ग की परीक्षा सिर्फ पाँच अनिवार्य विषयों में ओ0एम0आर0 सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में छात्र-छात्रा द्वारा चयनित 05 अनिवार्य विषयों (भाषा-1, भाषा-2, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परिषद् द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त पाँच विषयों में से चार विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ type) पूछे जायेंगे एवं 10 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि नवम् वर्ग की परीक्षा, 2025 का प्रवेश पत्र दिनांक 20.01.2025 से परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर संबंधित छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

वर्ष 2025 वर्ग नवम् का परीक्षा कार्यक्रम

Date & Days	1 st Sitting 9.45 A.M. to 1.00 P.M.	2 nd Sitting 2.00 P.M. to 5.15 P.M.
29.01.2025 (Wednesday)	Paper - I (Hindi A, Hindi B एवं English)	Paper - II (Mathematics एवं Science)
30.01.2025 (Thursday)	Paper - III (Social Science एवं Other language subject (If any))

परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 05.02.2025 से 05.03.2025 तक ऑनलाइन की जायेगी।


नोट :- सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जायेगा।

डाफाब JAC/जॉ0/3262/24/Secy/05/25

दिनांक 3.1.2025

DOP - 4.1.2025

अध्यक्ष के आदेश से,


3/01/25

सचिव


झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ज्ञापांक : JAC/जॉ०/3262/24/Soc'y/05/2025 दिनांक : 3.1.2025

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 04.01.2025 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।




सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।